



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239623
CG-DL-E-13102022-239623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4654]
No. 4654]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 13, 2022/आश्विन 21, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2022/ASVINA 21, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4864(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में दिनांक 22 अगस्त, 2022 को का.आ. 3933 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए दिनांक 22 अगस्त, 2022 के समसंख्यक शुद्धिपत्र में :-

(i) पृष्ठ 1 पर, बिन्दु (i), पंक्ति 03 में 10 राज्य सरकारों के स्थान पर, 05 राज्य सरकारों को पढ़ा जाए;

(ii) पृष्ठ 1 पर, बिन्दु (ii), पंक्ति 04 में 10 राज्यों के स्थान पर, 05 राज्यों को पढ़ा जाए;

(iii) पृष्ठ 1 पर, बिन्दु (iii), पंक्ति 05 में 10 राज्यों के स्थान पर, 05 राज्यों को पढ़ा जाए;

(iv) पृष्ठ 2 पर, शुद्धिपत्र के बिंदु (iv) के तहत तालिका में क्रमशः क्रम संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 पर उल्लिखित गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय और सिक्किम राज्यों के नामों का लोप किया गया है और संशोधित तालिका को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

1. असम	3. त्रिपुरा	5. उत्तराखंड
2. बिहार	4. उत्तर प्रदेश	

[फा. सं. यू.11019/133 /2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health Research)****CORRIGENDA**

New Delhi, the 13th October, 2022

S.O. 4864(E).—In the Corrigenda of even No. dated 22nd August, 2022, as Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) under S.O. 3933(E) on 22nd August, 2022 :-

(i) at page 2, point (i), line 03 for 10 State Governments, read 05 State Governments;

(ii) at page 2 point (ii), line 04 for 10 States, read 05 States;

(iii) at page 2, point (iii), line 05 for 10 States, read 05 States;

(iv) at page 2, the names of the States Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Meghalaya and Sikkim mentioned at S.No. 3, 4, 5, 6 and 7 respectively in table under point (iv) of the Corrigenda stand omitted and the corrected table shall read as under:-

1. Assam	3. Tripura	5. Uttarakhand
2. Bihar	4. Uttar Pradesh	

[F. No. U.11019/133/2022-HR]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.